तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज केवलराम चौधरी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 138/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी केवलराम चौधरी पुत्र स्व. तुलसीराम चौधरी पता आदर्श स्कूल के पास, बनाड़ तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.05..19 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् जी से निवेदन है कि 1970 से 2015 तक जिन भूतपूर्व सैनिकों को जमीन आवंटन हुई, उसकी प्रमाणित सूची प्रदान कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर/अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	